

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर ।

दिनांक 30.10.2012 को प्रातः 11.00 बजे सभागार, कुलपति सचिवालय, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में आयोजित विश्वविद्यालय प्रबंध मण्डल की 84 वीं बैठक के कार्यवृत्त :

निम्न सदस्य उपस्थित थे :-

1. प्रोफेसर ए०के० दाहमा, कुलपति	अध्यक्ष
2. श्री सन्तोष कुमार सहारण, विधायक	सदस्य
3. डा०पी.एम.सालीमथ	सदस्य
4. डा० एस०के०शर्मा	सदस्य
5. डॉ. पी०एन० कल्ला	सदस्य
6. डॉ. आर०पी० जांगीड	सदस्य
7. डॉ. राजेश शर्मा	सदस्य
8. डॉ. जगदीश पूनिया, सहायक निदेशक एवं प्रतिनिधि आयुक्त कृषि	सदस्य
9. डॉ. जी०एन० माथुर	सदस्य
10. डॉ. (श्रीमति) मधु शर्मा	सदस्य
11. डॉ. आर०के० वर्मा	सदस्य
12. श्री जे०पी० स्वामी, वित्त नियंत्रक	आमंत्रित सदस्य
13. श्री राजेन्द्र मिश्रा, कुल सचिव	सदस्य सचिव

डॉ० के०एम०एल० पाठक, उप महानिदेशक, भा०कृ०अनु०परिषद एवं राज्य सरकार द्वारा मनोनीत विख्यात वैज्ञानिक, डा० श्रीमति नूरजहाँ एन० गणिहार, अति० मुख्य सचिव, पशु पालन, प्रमुख शासन सचिव, कृषि व उच्च शिक्षा प्रबन्ध मण्डल की बैठक में भाग नहीं ले सकें ।

बैठक के प्रारम्भ में माननीय कुलपति महोदय ने नये मनोनीत सदस्य डॉ० पी०एम०सालीमथ, डा० श्रीमति नूरजहाँ एन० गणिहार एवं श्री सन्तोष कुमार सहारण, माननीय विधायक का एक साल और कार्यकाल बढ़ाने पर उनका स्वागत किया गया, साथ ही डॉ० मनिन्द्रा कपूर द्वारा दी गई सेवाओं की सराहना की गई । सर्वप्रथम डॉ० पी०एन० कल्ला, निदेशक प्रसार शिक्षा, डॉ० आर०पी० जांगीड, निदेशक अनुसंधान एस० डॉ० राजेश शर्मा, निदेशक कृषि व्यवसाय प्रबंधन ने माननीय सदस्यों के सम्मुख प्रसार, अनुसंधान एवं शिक्षा के बारे में विश्वविद्यालय की नवीनतम जानकारी से अवगत करवाया गया ।

21/10/12

मद संख्या	विवरण
स्वाकेराकृवि/बोम—84/ 2012-3/1196	<p>83 वीं विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल बैठक दिनांक 23.07.2012 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने बाबत ।</p> <p>यह पारित (Resolved) किया गया कि 83 वीं विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल बैठक दिनांक 23.07.2012 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की जाती है ।</p>
स्वाकेराकृवि/बोम—84/ 2012-3/1197	<p>83 वीं विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल बैठक दिनांक 23.07.2012 के कार्यवृत्त पर की गई कार्यवाही बाबत ।</p> <p>यह पारित (Resolved) किया गया कि 83 वीं विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल बैठक दिनांक 23.07.2012 के कार्यवृत्त पर की गई कार्यवाही की पुष्टि की जाती है ।</p>
स्वाकेराकृवि/बोम—84/ 2012-3/1198	<p>40 वीं विद्या परिषद् (Academic Council) बैठक दिनांक 05.10.2012 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने बाबत ।</p> <p>यह पारित (Resolved) किया गया कि 40 वीं विद्या परिषद् (Academic Council) बैठक दिनांक 05.10.2012 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि निम्न के साथ की जाती है:</p> <p>SKRAU/AC-40/2012-2/124(3) To revise the remuneration/honorarium paid to the external examiners for conducting examination at Master's and Ph.D. level.</p> <p>Dr.S.K.Sharma, Member was of the opinion that remuneration/honorarium paid to the external examiners for conducting examinations at Master's and Ph.D. level should be at par with the MPUAT, Udaipur and it was resolved that revised rate of remuneration/honorarium recommended by Academic Council be approved. University will consider the suggestion of Dr.Sharma later on.</p> <p>SKRAU/AC-40/2012-2/127 To consider the proposal received from Dean, College of Home Science, Bikaner vide letter no.CHSc PA/2012/525 dated 14.9.2012 regarding admitting students in UG programme through open advertisement on merit basis of 12th class from any stream of a recognized board.</p> <p>The matter was discussed at length . Dr.(Mrs) Archana Raj Singh, Dean, College of Home Science, Bikaner was invited to brief about agenda in detail. All the members were of the opinion that Dean should prepare information regarding pre requisite deficiency courses and four years calender and submit before Board of Studies/Academic Council then only matter be put up before the Board of Management. it was resolved to defer. Further, Members of the Board were of the opinion that diploma courses should also be started at College level.</p>

2/11/12

	<p>SKRAU/AC-40/2012-2/133</p> <p>To consider starting Ph.D. Programme in five Departments at Agricultural Research Station, Durgapura and naming the station as State Agricultural Research Institute.</p> <p>The matter was discussed at length and resolved that first admission of Ph.D. students be made in five departments viz. Agronomy, Entomology, Horticulture, Plant Breeding & Genetics and Plant Pathology from the next academic session of Ph.D. at SKNCOA, Jobner and research work, classes, lab works be carried out at Durgapura. The services of teaching /technical/ministerial staff also be utilized for this work. Further resolved that matter of changing the name of Agriculture Research Station Durgapura as Rajasthan Agricultural Research Institute be referred to Govt. of Rajasthan for approval.</p> <p>SKRAU/AC-40/2012-2/135(4)</p> <p>To make efforts for converting College of Agriculture, Sumerpur-Pali to College of Horticulture-Sumerpur.</p> <p>The matter was discussed at length. Hon'ble Sh.Santosh Kumar Saharan, MLA & Member of the Board was of the opinion that looking to the importance of horticultural crops in Sriganganagar region, College of Horticulture should be started at Sriganganagar. Further, Govt. of Rajasthan had already declared establishment of College of Agriculture at Sumerpur and budget, staff etc. had already been sanctioned, therefore, it was resolved that College of Horticulture should be opened at Sriganganagar and request be sent to Govt. of Rajasthan for necessary action.</p>								
स्वाकेराकृवि/बोम-84/2012-3/1199	<p>माननीय कुलपति द्वारा जारी आदेशों/परिपत्रों की पुष्टि करने बाबत।</p> <table border="1"> <tr> <td>1.</td><td>परिपत्र क्रमांक सीआई/एसकेराकृवि/यूएम०/2012/179-197 दिनांक 14.08.2012</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>आदेश क्रमांक एफ 632/स्वाकेराकृवि/स्था./ग्रुप-2/2012/5404 दिनांक 25.08.2012</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>आदेश क्रमांक एफ 4(1-आर)/आरएयू/सी/2012-13/1036 दिनांक 06.09.2012</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>आदेश क्रमांक एफ. /एसकेराकृवि/स्था./ग्रुप-1/2012/4166 दिनांक 10.09.2012</td></tr> </table> <p>यह पारित (Resolved) किया गया कि आदेश क्रमांक एफ. /एसकेराकृवि/स्था./ग्रुप-1/2012/4166 दिनांक 10.09.2012 में कार्यक्रम समन्वयक के पद विषयवार नहीं रखें जाएं और सभी विषयों के लिये रहेगें, के संशोधन के साथ सभी आदेश पारित किये गये ।</p>	1.	परिपत्र क्रमांक सीआई/एसकेराकृवि/यूएम०/2012/179-197 दिनांक 14.08.2012	2.	आदेश क्रमांक एफ 632/स्वाकेराकृवि/स्था./ग्रुप-2/2012/5404 दिनांक 25.08.2012	3.	आदेश क्रमांक एफ 4(1-आर)/आरएयू/सी/2012-13/1036 दिनांक 06.09.2012	4.	आदेश क्रमांक एफ. /एसकेराकृवि/स्था./ग्रुप-1/2012/4166 दिनांक 10.09.2012
1.	परिपत्र क्रमांक सीआई/एसकेराकृवि/यूएम०/2012/179-197 दिनांक 14.08.2012								
2.	आदेश क्रमांक एफ 632/स्वाकेराकृवि/स्था./ग्रुप-2/2012/5404 दिनांक 25.08.2012								
3.	आदेश क्रमांक एफ 4(1-आर)/आरएयू/सी/2012-13/1036 दिनांक 06.09.2012								
4.	आदेश क्रमांक एफ. /एसकेराकृवि/स्था./ग्रुप-1/2012/4166 दिनांक 10.09.2012								
स्वाकेराकृवि/बोम-84/2012-3/1200	<p>महामहिम राज्यपाल व कुलाधिपति महोदया की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय की क्रियान्विति के संबंध में स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के अधिनियम, 1987 के परिनियम 1(1) में संशोधन करने बाबत ।</p> <p>यह पारित (Resolved) किया गया कि महामहिम राज्यपाल व कुलाधिपति महोदया की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय की क्रियान्विति के संबंध में स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के अधिनियम, 1987 के परिनियम 1(1) में संशोधन करने की पुष्टि की जाती है ।</p>								

2/464

स्वाकेराकृवि/बोम-84/ 2012-3/1201	विश्वविद्यालय में कर्मचारियों/अधिकारियों के पेंशन/भविष्य निधि के पुनः विकल्प लेने के सम्बन्ध में 07 याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर का निर्णय दिनांक 28.04.2011.
	<p>प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया और यह पारित (Resolved) किया गया कि एक बार प्रस्तुत किया गया विकल्प अन्तिम व अपरिवर्तनीय हैं अतः अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत किए गए विकल्प को अन्तिम व अपरिवर्तनीय मानते हुए विद्यमान भविष्य निधि योजना/पेंशन योजना को यथावत रखने की पुष्टि की जाती है। साथ ही यह भी पारित किया गया कि डी.बी.सिविल स्पेशल अपील संख्या ३२/२००८ -राकृवि बनाम डॉ.जी.डी.शर्मा में राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय २०.०१.२०११ राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा आदेश दिनांक २८.०४.२०११ द्वारा निर्णित निम्न याचिकाओं पर लागू नहीं होने के कारण याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों को खारिज किया जाता है -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 6708/2006-बी.एस.सिद्धु बनाम राकृवि। 2. एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 6709/2006-एस.के.शर्मा बनाम राकृवि। 3. एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 6710/2006-इंजि.ए.एल.मिश्रा बनाम राकृवि। 4. एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 6711/2006-आर.बी.गौड़ बनाम राकृवि। 5. एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 6712/2006-सी.जे. कपूर बनाम राकृवि। 6. एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 6713/2006-बी.डी.अजमेरा बनाम राकृवि। 7. एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 6714/2006-बी.आर.गोदारा बनाम राकृवि। 8. एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 6715/2006-अशोक कुमार बनाम राकृवि।
स्वाकेराकृवि/बोम-84/ 2012-3/1202	शासन सचिव, वित्त (बजट) राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 9(1) वित्त - 1/आ.व्यय/2010 दिनांक 29.12.2010 एवं इसी की निरन्तरता में जारी स्पष्टीकरण परिपत्र दिनांक 30.03.2011 को अंगीकार (adopt) करने के सम्बन्ध में।
	यह पारित (Resolved) किया गया कि शासन सचिव, वित्त (बजट) राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 9(1) वित्त - 1/आ.व्यय/2010 दिनांक 29.12.2010 एवं इसी की निरन्तरता में जारी स्पष्टीकरण परिपत्र दिनांक 30.03.2011 को अंगीकार (adopt) किये जाने की पुष्टि की जाती है।
स्वाकेराकृवि/बोम-84/ 2012-3/1203	डॉ० हरि सिंह, सह-आचार्य, प्रसार शिक्षा, कृषि अनुसंधान केन्द्र, मण्डोर- जोधपुर द्वारा स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के प्राध्यापक एवं अधिकारी सेवा एवं आचरण नियम 1998 के नियम 107 के तहत प्रस्तुत अपील पर विचार करने बाबत।
	<p>प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। डा० एस०के०शर्मा, माननीय सदस्य की राय थी कि माननीय कुलपति महोदय द्वारा जारी आदेश पर अपील करने वाले अपील अधिकारी का नियमों में कोई उल्लेख नहीं है। सभी माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से पारित (Resolved) किया गया कि जॉब रिपोर्ट के आधार पर माननीय कुलपति महोदय के निर्देश पर विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक एफ /राकृवि/स्था/ग्रुप १/२००९/३८६ दिनांक २५.०६.२००९ की ही पुष्टि के साथ ही डॉ० हरि सिंह, सह-आचार्य द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है।</p>
स्वाकेराकृवि/बोम-84/ 2012-3/1204	विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक एफ / एसकेराकृवि/ स्था/ ग्रुप 1/2012/4169 दिनांक 11-09-2012 को अनुमोदन हेतु रखे जाने बाबत।
	यह पारित (Resolved) किया गया कि विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक एफ / एसकेराकृवि/स्था/ग्रुप 1/2012/4169 दिनांक 11-09-2012 को अनुमोदन किया जाता है।

२/५/१४

<p>स्वाकेराकृवि/बोम-84/ 2012-3/1205</p>	<p>स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के अधीन कार्यरत एक्स केडर कर्मचारियों का समायोजन/नियमितिकरण करने बाबत ।</p> <p>प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया । सभी माननीय सदस्यों की राय थी कि कार्यरत एक्स केडर कर्मचारियों का समायोजन/नियमितिकरण करने की कार्यवाही जल्द से जल्द करवाई जाए । यह पारित (Resolved) किया गया कि अगर जरूरत हो तो प्रकरण को राज्य सरकार को भेजकर जल्द से जल्द अनुमति लेकर नियमितिकरण कार्यवाही करने की पुष्टि की जाती है ।</p>
<p>स्वाकेराकृवि/बोम-84/ 2012-3/1206</p>	<p>Minutes of the meeting of the committee constituted vide Order No.F./Gen/Gr.II/SKRAU/12/1824 dated 20.10.2012 for reviewing the existing rules of affiliation, fee and also to prepare new guidelines and rules for providing affiliation to the Agriculture Colleges from SKRAU, Bikaner.</p> <p>The matter was discussed at length and resolved to approve the minutes of the meeting of committee constituted vide Order No.F./Gen/Gr.II/SKRAU/12/1824 dated 20.10.2012. Further resolved that IVth Deans committee recommendations be strictly followed.</p>
<p>स्वाकेराकृवि/बोम-84/ 2012-3/1207</p>	<p>स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में कार्यरत सभी संवर्ग (तकनीकी, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) के कर्मचारियों को प्रथम नियुक्ति दिनांक के अस्थाई आधार पर नियुक्ति के संबंध में ।</p> <p>प्रकरण पर विस्तृत विचार किया गया । कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना नं० एफ५(२)DOP/A-II/2008 दिनांक 27.2.2009 के क्लॉस दो Amendment of rule-6 last para "provided they were eligible for appointment as per rules on the date of their initial irregular appointment and vacancy is available at the time of screening. The Appointment authority shall issue appointment order of the person, who is adjudged suitable by the screening committee and appointment shall be effective from the <u>date of issue of such appointment order.</u></p> <p>का स्पष्टीकरण लेना अत्यन्त आवश्यक है । यह पारित (Resolved) किया गया कि अस्थाई आधार पर नियुक्त हुये कर्मचारियों को नियमितिकरण किया जाए और जरूरत हो तो राज्य सरकार से स्पष्टीकरण ले कर तुरन्त कार्यवाही की जाए</p>
<p>स्वाकेराकृवि/बोम-84/ 2012-3/1208</p>	<p>स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में रिक्त सहायक कुलसचिव के पदों में से ५० प्रतिशत रिक्त पद अनुभाग अधिकारी/वरिष्ठ निजी सहायक जो कि सहायक कुलसचिव पद की निर्धारित योग्यता एवं अनुभव रखते हैं को पदोन्नति द्वारा भरने बाबत ।</p> <p>प्रकरण पर विस्तृत विचार किया गया और यह पारित (Resolved) किया गया वरिष्ठ निजी सहायक तथा अनुभाग अधिकारी पद का वेतनमान समान होने तथा पर्यवेक्षण का अनुभव होने के कारण उक्त पदों पर कार्यरत वरिष्ठ निजी सहायको और अनुभाग अधिकारियों को, सहायक कुलसचिव के पद के लिए पात्र माना जाता है । साथ ही यह भी पारित किया गया कि रिक्त सहायक कुलसचिव के पदों में से 50 प्रतिशत रिक्त पदों पर वरिष्ठ निजी सहायक/अनुभाग अधिकारियों को पदोन्नति प्रदान कर भरा जावे, जो पद की निर्धारित योग्यता एवं अनुभव रखते हैं । साथ ही यह पारित किया गया कि रिक्त सहायक कुलसचिव के पदों में से 50 प्रतिशत रिक्त पद अनुभाग अधिकारी/वरिष्ठ निजी सहायक जो कि सहायक कुलसचिव पद की निर्धारित योग्यता एवं अनुभव रखते हैं की पदोन्नति द्वारा भरे जाये और अगर जरूरत महसूस हो, नियमों में संशोधन करने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भेजने की पुष्टि की जाती है ।</p>

2/4610
/

<p>स्वाकेराकृवि/बोम-84/ 2012-3/1209</p>	<p>विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक एफ.२७७/ऐयू/स्था/९५/३३४६ दिनांक २४.६.१९९५ के तहत नियुक्त हुए कनिष्ठ लिपिकों को नियमित वेतनमान दिए जाने की दिनांक से चयनित वेतनमान का लाभ दिए जाने बाबत ।</p> <p>प्रकरण पर विस्तृत विचार किया गया और यह पारित (Resolved) किया गया कि प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही की जाय और अगर जरूरत हो तो आगामी राय के लिये राज्य सरकार को भिजवाया जाना प्रस्तावित है ।</p>
---	---

आसन के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गई ।

२५/११/१२
(राजेन्द्र मिश्रा)
कुल सचिव
एवं
सदस्य सचिव

२५/११/१२
(प्रो० ए०के० दाहमा)
कुलपति
एवं
अध्यक्ष प्रबन्ध मण्डल